



बिहार लोक सेवा आयोग,
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001
संशोधित रिक्तियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

वि.सं. 29/2024, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41(इकतालीस) एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 (इक्कीस) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 13.03.2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें कोटिवार रिक्तियाँ निम्नवत् थी:-

A. माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 41 पदों की कोटिवार विवरणी:

क्र.सं.	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप अनुमान्य पदों की कुल संख्या	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	11	04	01	VI-01 DD-01 OH-00 MD-00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	01		
3.	अनुसूचित जाति	08	03		
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00		
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	10	04		
6.	पिछड़ा वर्ग	07	02		
	कुल	41	14		

B. उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 21 पदों की कोटिवार विवरणी:

क्र.सं.	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप अनुमान्य पदों की कुल संख्या	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	06	02	00	VI-01 DD-00 OH-00 MD-00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00		
3.	अनुसूचित जाति	04	01		
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00		
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	05	02		
6.	पिछड़ा वर्ग	03	01		
	कुल	21	06		

CWJC No. 16760/2023, गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20.06.2024 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर अपील SLP (C) No. 014086/2024 में अंतिम रूप से पारित होने वाले न्यायादेश से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु नियुक्ति सम्बन्धी कार्रवाई किये जाने के संदर्भ में शिक्षा विभाग के ज्ञापक- 1776 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा उक्त संसूचित रिक्तियों में संशोधन करते हुए पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत पत्रांक-1153 दिनांक-16.09.2022 एवं पत्रांक-1154 दिनांक-16.09.2022 के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त है। उक्त पत्रांकों में कोटिवार रिक्तियाँ निम्नवत् संसूचित की गई हैं:-

A. माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 41 पदों की कोटिवार विवरणी:

क्र.सं.	कोटि	कोटिवार कुल रिक्त की संख्या	महिलाओं के लिए 35% क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप अनुमान्य पदों की कुल संख्या	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए कुल पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	16	06	01	VI-01 DD-01 OH-00 MD-00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	01		
3.	अनुसूचित जाति	07	03		
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00		
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	07	02		
6.	पिछड़ा वर्ग	05	02		
7.	पिछड़े वर्गों की महिला	01	00		
	कुल	41	14		

B. उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 21 पदों की कोटिवार विवरणी:

क्र.सं.	कोटि	कोटिवार कुल रिक्त की संख्या	महिलाओं के लिए 35% क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप अनुमान्य पदों की कुल संख्या	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए कुल पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	08	04	01	VI-01 DD-01 OH-00 MD-00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00		
3.	अनुसूचित जाति	03	01		
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00		
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04	01		
6.	पिछड़ा वर्ग	02	01		
7.	पिछड़े वर्गों की महिला	01	00		
	कुल	21	07		

विज्ञापन की शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

20/11/24

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना